भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3233
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

जीपीएस सिग्नलों में व्यवधान से नागर विमानन संचालन पर प्रभाव

3233. श्री हनुमान बेनीवाल:
श्री बैजयंत पांडा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सिग्नलों के साथ कथित छेड़छाड़ या हस्तक्षेप के कारण दिल्ली और ओडिशा सहित देश भर के विभिन्न विमानपत्तनों पर कई उड़ानें बाधित हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रभावित उड़ानों की संख्या कितनी है और ऐसे व्यवधानों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का देश में नागरिक विमानों में जीपीएस से छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग): दिल्ली के हवाई क्षेत्र के आसपास जीपीएस हस्तक्षेप की घटनाएं रिपोर्ट की गईं थीं। ओडिशा से ऐसी घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं है।

जीपीएस स्पूफिंग से जुड़े व्यवधान एक वैश्विक घटना है जिसे कन्फ्लिक्ट जोन के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ती फ्रीक्वेन्सी के साथ देखा गया था।

एयरलाइनों द्वारा रिपोर्ट किए गए जीपीएस हस्तक्षेप की कुल संख्या नवंबर, 2023 - दिसंबर, 2025 के दौरान 2354 और जनवरी, 2026 - फरवरी, 2026 के दौरान 623 है।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने हवाई क्षेत्र में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) हस्तक्षेप का समाधान करने के लिए दिनांक 24.11.2023 का परामर्शी परिपत्र एएनएसएस एसी 01/2023 जारी किया है। इसके अलावा, डीजीसीए ने आईजीआई हवाईअड्डे के आसपास जीपीएस स्पूफिंग/जीएनएसएस हस्तक्षेप की घटनाओं की रियल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 10.11.2025 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने जीपीएस हस्तक्षेप/स्पूफिंग की घटनाओं के बारे में जांच हेतु समय-समय पर वायरलेस मॉनिटरिंग आर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) को अवगत कराया है।

*****